भारत सरकार
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या: 292
03 फरवरी, 2023 को पूछे जाने वाले प्रश्न का उत्तर

प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पैकेज बीमा योजना

292. डॉ.डी.एन.वी. सेंथिलकुमार एस.:
श्रीमती सुप्रिया सुले:

क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या देश में कोविड-19 से लड़ते हुए मरने वाले स्वास्थ्य कर्मियों और उनके अश्रितों को प्रधान मंत्री गरीब कल्याण पैकेज बीमा योजना के अंतर्गत वित्तीय मदद दी गई है और यदि हां, तो इनकी राज्य/संघ राज्य क्षेत्रवार संख्या कितनी है;

(ख) राज्य-वार/संघ राज्य क्षेत्रवार उनके आश्रितों को अब तक कितनी राशि अंतरित की गई है;

(ग) क्या कोविड-19 के संक्रमण से मरने वाले 1800 डॉक्टरों में से 75 प्रतिशत से अधिक ऐसे डॉक्टर थे जिन्हें इस योजना में कवर नहीं किया गया क्योंकि वे ऐसे अस्पतालों में काम कर रहे थे जो कोविड के लिए विनिर्दिष्ट नहीं थे और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या सरकार ने इसका कोई संज्ञान लिया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ड) क्या सरकार के पास ऐसे 75 प्रतिशत डॉक्टरों को जो ड्यूटी के दौरान मर गए, को इस योजना में शामिल करने की कोई योजना है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा यदि नहीं, तो इसके क्या कारण है?

उत्तर
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण राज्य मंत्री (डॉ. भारती प्रविण पवार)

(क) से (ङ): कोविड-19 से लड़ रहे स्वास्थ्य देखरेख कार्मिकों के लिए बीमा योजना "प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पैकेज (पीएमजेकेपी) 30 मार्च, 2020 को सामुदायिक स्वास्थ्य कार्मिकों और निजी स्वास्थ्य कार्मिकों सहित ऐसे 22.12 लाख स्वास्थ्य देखरेख कार्मिकों को 50 लाख रु. का व्यापक व्यक्तिगत दुर्घटना कवर प्रदान करने के लिए आरंभ की गई थी जो कोविड-19 रोगियों के सीधे संपर्क और देखरेख कार्य में रहे हों और इसके प्रभाव में आने के जोखिम पर हो।

इसके साथ-साथ अभूतपूर्व स्थिति होने के कारण, राज्यों/केंद्रीय अस्पतालों/केंद्र/राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के स्वायत्त अस्पतालों एम्स और राष्ट्रीय महत्व के संस्थान (आईएनआई)/केंद्रीय मंत्रालयों के कोविड-19 रोगियों के लिए विशेष रूप से तैयार किए गए अस्पतालों द्वारा मांगे गए निजी अस्पताल के स्टॉफ/सेवानिवृत/स्वयंसेवी/स्थानीय शहरी निकायों/संविदा/दिहाड़ी/तदर्थ/आउटसोर्स स्टॉफ की निम्नलिखित शर्तें पूरी करने पर पीएमजेकेपी के तहत शामिल किए गए थे:-

1. उन्हें राज्यों/केंद्रीय अस्पतालों/केंद्र/राज्य/संघ राज्य क्षेत्रों के स्वायत्त अस्पतालों, एम्स और आईएनआई/केंद्रीय मंत्रालयों के अस्पतालों द्वारा कोविड-19 संबंधी दायित्वों के लिए तैनात किया गया है। वे फ्रंटलाइन स्वास्थ्य कार्मिकों के रूप में कार्य कर रहे हों जो कोविड-19 रोगियों के सीधे संपर्क या देखरेख के कार्य में हो और जो इससे प्रभावित होने के जोखिम पर हो।
2. जीवन की हानि कोविड-19 के कारण या कोविड-19 संबंधी कार्य करने में दुर्घटना से हुई मृत्यु के कारण हुई हो।

स्कीम की शुरूआत से अब तक, डॉक्टरों सहित स्वास्थ्य कार्मिकों के 2351 दावों का निपटान किया जा चुका है। प्रदान की गयी वित्तीय सहायता सहित राज्यवार ब्यौरा अनुलग्नक-क में दिया गया है।

अनुलग्नक-क

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	भुगतान किए गए दावों की संख्या	भुगतान की गई कुल राशि (लाख रुपये में)
अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	2	100
आंध्र प्रदेश	196	9800
अरुणाचल प्रदेश	7	350
असम	20	1000
बिहार	116	5800
चंडीगढ़	6	300
छत्तीसगढ	98	4900
दमन और दीव	1	50
दिल्ली	82	4100
गोवा	6	300
गुजरात	206	10300
हरियाणा	39	1950
हिमाचल प्रदेश	6	300
जम्मू और कश्मीर	40	2000
झारखंड	22	1100
कर्नाटक	153	7650
केरल	52	2600
लद्दाख	1	50
मध्य प्रदेश	98	4900
महाराष्ट्र	311	15550
मणिपुर	6	300
मेघालय	12	600
मिजोरम	2	100
नगालैंड	3	150
ओडिशा	34	1700
पुदुचेरी	25	1250
पंजाब	31	1550
राजस्थान	203	10150
सिक्किम	3	150
तमिलनाडु	157	7850
तेलंगाना	115	5750
त्रिपुरा	4	200
उत्तर प्रदेश	206	10300
उत्तराखंड	13	650
पश्चिम बंगाल	26	1300

******